



वासेनार अरेंजमेंट

//





वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement-WA)

पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिये

परिचय:

- > स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था जिसे औपचारिक रूप से वर्ष 1996 में स्थापित किया गया
- > इसने बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण हेतु स्थापित शीतयुद्धकालीन समन्वय समिति का स्थान लिया

उद्देश्य:

- > उन देशों या संस्थाओं के लिये प्रौद्योगिकी, सामग्री या घटकों की आवाजाही को नियंत्रित करना जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं

सदस्य:

- > 42 सदस्य (अधिकांशतः नाटो और यूरोपीय संघ के राज्य)
- > UNSC के P5 देश (चीन को छोड़कर) इसके सदस्य हैं

WA में भारत की सदस्यता

- > भारत वर्ष 2017 में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ (नवीनतम प्रवेशकर्ता)
- > भारत की सदस्यता का तात्पर्य है कि इसे दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के धारक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- > NPT का गैर-हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत के लिये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में प्रवेश करने हेतु WA की सदस्यता महत्वपूर्ण है।

सचिवालय

- ▶ वियना, ऑस्ट्रिया

WA प्लेनरी

- ▶ निर्णायकारी निकाय जिसमें सभी भागीदार देशों के प्रतिनिधियों शामिल हैं
- ▶ प्लेनरी की अध्यक्षता वार्षिक आधार पर परिवर्तित होती रहती है; भारत की अध्यक्षता 1 जनवरी, 2023 से शुरू होगी



